सत्यमेव जयते
छावनी परिषद् वाराणसी
Cantonment Board Varanasi
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Defence, Govt. of India
विजय पथ, वाराणसी कैंट
Vijay Path, Varanasi Cantt. – 221002
E-Mail: ceovara-stats@nic.in

छावनी परिषद वाराणसी कार्यालय में सम्पन्न छावनी परिषद की साधारण बैठक दिनांक 28.02.2026 समय 1230 बजे की कार्यवाही।

उपस्थित सदस्य

1.	ब्रिगे0 जयदीप चंदा,	–	अध्यक्ष
2.	श्री सत्यम मोहन, मु0अ0अ0	–	सदस्य सचिव
3.	श्री राज कुमार दास	–	मनोनीत सदस्य

1. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सको का सेवा अवधि विस्तार/परिवर्तन के संबंध में।

सन्र्दभ–एम0ओ0, छावनी परिषद चिकित्सालय वाराणसी का पत्र सं0 135 दिनांक 18.12.2025

आर0एम0ओ0, कैण्ट जनरल अस्पताल का पत्रांक सं0 सं0 135 दिनांक 18.12.2025 द्वारा यह सूचित किया है कि निम्नलिखित विशेषज्ञ संविदा चिकित्सको का कार्यकाल निम्न तिथियों को समाप्त हो गया है –

क्र0स0	डाक्टर का नाम	सेवा अवधि समाप्ति की तिथि
1.	डा0 संजय सिह, नाक,कान व गला रोग विशेषज्ञ	16.01.2026
2.	डा0 शिखर यादव, पशु चिकित्सक	30.01.2026

उपरोक्त विशेषज्ञ संविदा चिकित्सकों के संबंध में बोर्ड को अवगत कराना है कि–

1. डा0 संजय सिंह की नियुक्ति सप्ताह में 02 दिन बुधवार दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक एवं शनिवार सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक इनकी सहमति के आधार पर की गई थी परन्तु डा0 संजय सिंह अपने निर्धारित दिवस व समय का पालन नहीं कर रहे है।

2. डा0 शिखर यादव का ओ0पी0डी विगत अप्रैल, 2025 से 18.12.2025 तक मात्र 04 है, अन्तिम पशु मरीज माह जून, 2025 आया था।

उक्त प्रकरण के बाबत सेवा अवधि विस्तार/परिवर्तन पर विचार करना ।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 1

(ब) विचार किया गया एवं डा0 संजय सिंह की सेवा समाप्त किया जाता है।

(ब) विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि पशुओं की संख्या नगण्य होने के कारण पशु ओ0पी0डी0 बन्द करने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन ऑन काल सुविधा के लिए रू. 500/— प्रति कॉल स्वीकृत किया जाता है।

2. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सको का सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।

सन्दर्भ—एम0ओ0, छावनी परिषद चिकित्सालय वाराणसी का पत्र सं0 135 दिनांक 18.12.2025 एवं पत्र सं0 162 दिनांक 31.01.2026

आर0एम0ओ0, कैण्ट जनरल अस्पताल का पत्रांक द्वारा अवगत कराया गया है कि डा0 नेहा तिवारी का कार्यकाल दिनांक 28.02.2026 को समाप्त हो रहा है परन्तु डा0 नेहा तिवारी अपने निर्धारित समय का पालन नहीं करती है। दिनांक 28.01.2026 को उपचार से संबंधित आवश्यक चिकित्सकीय जांचे प्रिस्क्रिप्शन पर अंकित नहीं की गई तथा मौखिक रूप से जांचो के लिए किसी विशेष निजी प्रयोगशाला से संपर्क करने का मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार की शिकायतें पूर्व में भी मरीजों एवं स्टाफ के माध्यम से प्राप्त होती रही हैं।इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद मरीजो का अथवा आगे की जांच एवं परामर्श हेतु संबंधित चिकित्सक के निजी सेट अप की ओर मार्गदर्शन किया जा रहा है जो कि शासकीय सेवा नियमों एवं चिकित्सा आचार संहिता के अनुरूप नहीं है।

उक्त प्रकरण के बाबत सेवा अवधि विस्तार पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 2

विचार किया गया एवं आर0एम0ओ के रिपोर्ट के आधार पर डा0 नेहा तिवारी की सेवा समाप्त कर उनके स्थान पर संविदा आधारित मानदेय पर नए स्त्री रोग विशेषज्ञ को रखे जाने हेतु मुख्य अधिशासी को अधिकृत किया जाता है।

3. सिविल सदस्य का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भ— निदेशालय, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ पत्र संख्या –11034/Election/Cantt/VIII/80 दिनांक 22..01.2026

सन्दर्भित पत्रांक द्वारा श्री राजकुमार दास को छावनी परिषद वाराणसी का सिविल सदस्य का0नि0आ0 1(अ) दिनांक 16 जनवरी, 2026 द्वारा सदस्य के रूप में कार्यकाल 11 फरवरी, 2026 से आगामी एक वर्ष या उस समय तक जब कि बोर्डों का गठन उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन नही कर लिया जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तक परिवर्ती रखा गया है एवं का.नि.आ. 2 (अ) दिनांक 19 जनवरी, 2026 द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इन छावनी परिषदों का गठन 11 फरवरी, 2026 से अधिसूचित किया गया है, को नोट करने पर विचार एवं स्वीकृत करना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 3

नोट एवं स्वीकृत किया गया।

4. महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के संबध में।

श्री श्रीनारायण खेमका, प्रोजेक्ट संयोजक भारत विकास परिषद 'शिवा' ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2026 द्वारा यह निवेदन किया गया है कि कैन्टोनमेन्ट जनरल अस्पताल के सामने तिकोना पार्क में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। पूर्व में भी भारत विकास परिषद 'शिवा' द्वारा स्वामी विवेकानन्द एवं रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा छावनी परिषद की भूमि पर लगाया गया है।

तद्नुसार श्रीनारायण खेमका के आवेदन पत्र पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड पटल पर प्रस्तुत है।

<u>संकल्प संख्या 4</u>

विचार किया गया एवं कैन्टोन्मेंट जनरल अस्पताल के सामने तिकोना पार्क में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. <u>मिलट्री कंजरवेंसी इकरारनामा वर्ष 2026–2027 एवं 2027–2028.</u>

छावनी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत धारा 110 के तहत मिलट्री कंजरवेंसी इकरारनामा वर्ष 2026–2027 एवं 2027–2028 (01.03.2026 से 28.02.2028 तक) जो स्टेशन कमाण्डर, वाराणसी व छावनी परिषद वाराणसी के मध्य सम्पन्न हुआ पर विचार एवं स्वीकृत करना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड पटल पर प्रस्तुत हैं।

<u>संकल्प संख्या 5</u>

नोट एवं स्वीकृत किया गया।

6. <u>छावनी परिषद वाराणसी में संविदा पर आउटर्सोसिंग के माध्यम से मानवशक्ति आपूर्ति के संबंध में।</u>

संदर्भः छावनी परिषद परिचालन कार्य संख्या 01 दिनांक 21.01.2023.

संदर्भित संकल्प द्वारा वर्तमान आपूर्ति एजेन्सी (एस.एस0–4 सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0) का ठेका स्वीकृत किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 31.01.2026 को समाप्त हो गई ।

नये सिरे से निविदा प्रकाशित किये गए थे, जिसमें कुल 595 फर्मो द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसका प्रथम चरण का जॉच कार्य किया जा रहा हैं जिसमें कुछ अतिरिक्त समय और लगेगा जिस कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई हैं।

अतएव वर्तमान आपूर्ति ऐजेन्सी (एस.एस0–4 सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0) के ठेके का विस्तार निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक मानव शक्ति आपूर्ति करने पर विचार करना व स्वीकृति प्रदान करना।

<u>संकल्प संख्या 6</u>

विचार किया गया एवं नए निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने/स्वीकृत होने तक वर्तमान आपूर्ति एजेन्सी (एस.एस0–4 सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0) का ठेका का विस्तार किया जाता है।

7. **<u>मासिक लेखा विवरण</u>**

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 127 के अधीन सामान्य बही/वर्गीकृत संक्षिप्ति मे दिये गये विवरण के अनुसार खर्च सहित माह दिसम्बर 2025 के लिए मासिक आय एवं व्यय पर विचार एवं स्वीकृति हेतु ।

विवरण	दिसम्बर, 2025
प्रारम्भिक अवशेष	रू. 44,13,028.55
टी.डी.आर. की परिपक्वता	—
प्राप्तियां	रू 3,93,47,138.00
योग	रू.4,37,60,166.55
व्यय	रू.3,79,73,693.00
निवेश	—
अंतिम अवशेष	रू. 57,86,473.55

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 7

विचार किया गया एवं पटल पर रखे समस्त आय एवं व्यय स्वीकृत ।

8. DRAFT BUILDING BYE LAWS OF VARANASI CANTONMENT.

Ref : PDDE, Central Command, Lucknow Letter No. 35281/Bye-Laws/Build/16 dated 04.02.2026 regarding
dt. 04.02.2026 Draft Building Bye-Laws of Varanasi Cantonment.

In reference of the above letter it is stated that G.O.C-in-C vide H.Q, CC, Letter No. 26101/Acxn/Gen/Building Bye Laws/Q3/L2 dt. 31.01.2026 has approved the Draft Bye Laws of Varanasi Cantonment. Further certain minor modification are suggested by the DGDE, Min. of Defece and A.H.Q as intimated vide letter under reference.

Therefore the amended Draft Bye Laws of Varanasi Cantonment is placed before the Board for approval.

The Board may decide.

Resolution No. 8

Board Considered the Draft Building Bye-Laws which have been approved by GOC-in-C and also suggestions made by AHQ & DGDE. Board after detailed discussion unanimously approved the draft Building Bye-Laws 2026. Board further resolved that the same be forwarded to PDDE, CC for final publication in Gazette.

9. RE - APPROPRIATION OF BUDGET IN MINOR HEAD CODE.

बजट शीर्ष कोड 110–2999 में 2025–2026 हेतु पुनरीक्षित बजट रू0 3,01,000/– स्वीकृति किया गया है, परन्तु अभी कोई भी धनराशि व्यय नही किया गया है। स्टैन्डिंग कमेटी का आगमन दिनांक 22.01.2026 को वाराणसी छावनी में हुआ है, जिसमें खर्च होने वाले राशि का प्रावधान किसी हेड में नहीं किया गया था, अतएव स्टैन्डिंग कमेटी के आगमन का खर्च बजट शीर्ष 110–2999 में किया जाएगा। बजट शीर्ष 110–2999 में धनराशि कम होने के कारण निम्न बजट शीर्ष में से स्थान्तरित किया जाएगा जिसका विवरण निम्नवत् है:–

HEAD	BUDGET AVAILABLE	AMOUNT OF APPROPREATION

110 - 2162 - Other Elected Members	250000.00	250000.00
110 - 2199 - Others Expenses	1460000.00	700000.00
110 - 2215 - Programme and Meeting Expenses	450000.00	450000.00
110 - 2271 - Advertisement Charges	707000.00	500000.00
110 - 4171 - Computers & Peripherials	918000.00	700000.00
110 - 2299 - Others Election	1518000.00	1500000.00
	5303000.00	**4100000.00**

Re-Appropreated to :-

110 - 2999- Other Misc. Expenditure	**AMOUNT(in Rs.)**
Available Balance	301000.00
Amount of Appropriation	4100000.00
Available Budget for Expenditure	**4401000.00**

अतएव उक्त बजट के उपरान्त धनराशि स्थान्तरित करने हेतु विचार एवं स्वीकृति प्रदान करना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 9

विचार किया गया एवं स्वीकृत।

10. E-Tender for supply of manpower through outsourcing.

Cantonment Board Varanasi had invited a tender on GEM portal for supply of manpower through outsourcing whose bid ID number is GEM/2025/13/7049210. A total of 595 firms participated in the tender process. Single packet bid system was implemented for the tender as approved by the Board. Hence the bids were opened and 592 firms were L-1. In the first phase, GEM tool selected bids of 10 firms which were checked and as the documents of all the firms were not complete, GEM tool was again run for selecting another 10 firms which were checked and in which the bid of 01 firms were found technically qualified. Accordingly GEM tool was run for selecting random 10 L-1 till the time at least 3 firms were found to be technically qualified..

Thereafter, the accepted and rejected bids were uploaded on the GEM portal. 48 hours were given to the bidders for submitting clarifications if any. After 48 hours, 16 firms re-uploaded their documents.

The documents of 16 firms were again re-checked. Out of 16 firms, only 01 firm was found to be technically qualified and hence the bid was accepted.

Accordingly, finally, the documents of 04 firms were found to be technically qualified and hence accepted. The details are as below:-

S.No.	Name of Firm	Financial Bid
1.	M/S Sirsainath Associates Private Ltd, LIG 1542 Sector-1, Ashiya LDA Colony, Kanpur Road Lucknow-226012.	3.85%

2.	M/S Oriental Integrated Facility Management Private Ltd., 214 2nd floor samruddhi commercial Premises chancholi Bunder Road, Mind Space Malda West Mumbai-400064.	3.85%
3.	M/S Armament Security Services, D-89,Sector-3, Greater Noida-201308.	3.85%
4.	M/S Nagendra Construction Company, A-10, Singh Bhoomi Khatipura, Jaipur Rajsthan.	3.85%

As per the rules, the GEM L-1 Tool Run Process was implemented in which M/S Armament Security Services, D-89,Sector-3, Greater Noida-201308 was found to be L-1 by GEM tool.

To consider and approve the bid of M/S Armament Security Services, D-89,Sector-3, Greater Noida-201308 for supply of manpower through outsourcing.

Relevant documents are placed on the table.

Resolution No. 10

Board resolved and approved the bid of M/S Armament Security Services, D-89,Sector-3, Greater Noida-201308 for supply of manpower as per terms and conditions of tender.

11. छावनी परिषद सार्वजनिक चिकितसालय हेतु आटो हीमोटोलॉजी एनलाइजर (सेल काउन्टर पार्ट–5) मशीन क्रय करने के संबंध में।

संदर्भ : छावनी परिषद चिकित्सालय का पत्र संख्या 171 दिनांक 06.02.2026

छावनी परिषद चिकित्सालय पैथोलॉजी विभाग की आटो हीमोटोजॉली मशीन काफी पुरानी हो जाने के कारण बार–बार खराब हो जा रही हो जा रही है जिसके मरम्मत पर अत्यधिक धनराशि व्यय होता है तथा वर्तमान में खराब हो गई, इसलिए एक नया हीमोटोलॉजी एनलाइजर (सेल काउन्टर पार्ट–5) मशीन क्रय किया जाना आवश्यक है।

अतएव नई एनलाइजर (सेल काउन्टर पार्ट–5) मशीन क्रय किए जाने पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 11

विचार किया गया एवं स्वीकृत। व्यय करने हेतु मुख्य अधिशासी को अधिकृत किया जाता है।

12. टू सीटर डेस्क–बेंच क्रय करने के संबंध में।

संदर्भः प्रधानाध्यापिका, कैन्टोनमेन्ट बोर्ड मॉडल प्राइमरी स्कूल का पत्र दिनांक 18.02.2026.

कैन्टोनमेन्ट बोर्ड मॉडल प्राइमरी स्कूल में नर्सरी एवं यू0के0जी0 के बच्चो के बैठने के लिए टू सीटर डेस्क–बेंच की आवश्यकता है। जेम पोर्टल के माध्यम से 80 पीस टू सीटर डेस्क–बेंच क्रय करने पर लगभग रू0 5.00 लाख व्यय हो सकता है। बजट मद 180–4181 (2025–2026 पुनरीक्षित) में प्राविधान निहित है ।

अतएव 80 पीस टू सीटर डेस्क–बेंच क्रय करने पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 12

विचार किया गया एवं स्वीकृत।

13. Centralized Recruitment of Cantonment Board Posts through SSC

PD, DE, CC, Lucknow vide letter No.82562/Ruling/25/C-1948 dated 12 Feb., 2026 has directed that Board shall pass a formal resolution authorizing recruitment of Cantt. Board emloyees through SSC and approving the cadre-wise details of sanctioned posts, vacancies, reservation rosters etc.

The cadre-wise details of sanctioned posts, vacancies, reservation rosters of Cantonment Board Varanasi are as under :-

Sl. No.	Cadre	Sanctioned Posts	Vacancies	Reservation
1.	Junior Assistatnt	06	05	As pre reservation roster
2.	Computer Programmer	01	Nil	As pre reservation roster
3.	Junior Engineer	01	Nil	As pre reservation roster
4.	RMO	01	Nil	As pre reservation roster
5.	MO	01	Nil	As pre reservation roster
6.	Pharmacist	01	NIl	As pre reservation roster
7.	Midwife	02	01	As pre reservation roster
8.	Asst. Teacher Primary	12	10	As pre reservation roster
9.	Sanitary Inspector	01	01	As pre reservation roster
10.	Asst. Sanitary Inspector	01	01	As pre reservation roster
11.	Consy. Clerk	01	Nil	As pre reservation roster

Accordingly to consider and approve for recruitment of Cantt Board employees through SSC as per table given above.

Reservation Roster maintained by Board alongwith relevant papers put on the Board.

Resolution No.13

Considered and resolved that recruitment of Cantt. Board employees shall be done through SSC as per details given in agenda side. Further Board approved the sanctioned posts, vacant posts and reservation roster as placed on table.

14. कैशलेस मेंडिकल सुविधा के संबंध में।

संदर्भ – निदेशालय रक्षा सम्पदा, मध्य कमान, लखनऊ पत्रांक संख्या 82562/रूलिंग/24–सी–1659 दिनांक 12.12.2024

छावनी परिषद वाराणसी के स्थायी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय छावनी परिषद द्वारा वाराणसी के विभिन्न अस्पतालों में सी.जी.एच.एस. दर MoA/MoU सम्पन्न

कराने हेतु सहमति देने का अनुरोध किया गया था। इस क्रम में निम्नलिखित अस्पतालों/डायग्नोस्किस सेंटर द्वारा सी.जी.एच.एस. दर पर कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु MoA/MoU सम्पन्न कराने सहमति प्रदान की गई है –

1. सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेन्टर, मलदहिया, वाराणसी।
2. हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी
3. गैलेक्सी अस्पताल, महमूरगंज, वाराणसी
4. पानासिया अस्पताल, दुर्गाकुंड, वाराणसी
5. चंदन डायग्नोसिस, चितईपुर, वाराणसी

अतएव उपरोक्त अस्पतालों से सी.जी.एच.एस. दर पर कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु MoA/MoU सम्पन्न कराने पर विचार व स्वीकृत करना।

संकल्प संख्या 14

विचार किया गया एवं उपरोक्त अस्पतालों से सी.एच.एस. दर पर कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु MoA/MoU सम्पन्न कराने हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

15. मिंट रोड पर होटल इंडिया के सामने सर्वे संख्या 88 (पार्ट) पर 395.375 वर्गमीटर भूमि वाहन पार्किंग कार्य हेतु ई–नीलामी।

छावनी परिषद वाराणसी द्वारा मिंट रोड पर होटल इंडिया के सामने सर्वे संख्या 88 (पार्ट) पर 395.375 वर्गमीटर भूमि वाहनो की पार्किंग हेतु आवंटन, छावनी अधिनियम 2006 की धारा 267 के तहत 03 वर्ष के लिए ई–नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

आमंत्रित की गई ई–नीलामी का विवरण निम्नवत है –

समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशन की तिथि	हिन्दुस्तान एवं आज दिनांक 03.02.2026
ई–नीलामी की तिथि	25.02.2026
ई–नीलामी में भाग लेने वालो की संख्या	3
ऑक्सन आई0डी0 संख्या	2026_MoD_4639

निम्नलिखित फर्म/व्यक्तियों के प्रपत्र पूर्ण होने के कारण ई–नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी–

क0स0	**नीलामी में भाग लेने वाले फर्म/व्यक्यिों के नाम**
1	श्री गोपी चंद, एस–20/51–ए–6, नेपाली कोठी, वाराणसी।
2	श्री राधे श्याम, गांव–बहुतारा, वसनी, वाराणसी।
3	श्री आशुतोष कुमार सिह, घुरहहूपुर, देवकली, जौनपुर।

बोलीकर्ता का मास्क आई डी	**बोली की राशि**
202668369187787	रू.12,25,014/– प्रतिवर्ष
202668369187597	रू.12,23,514/– प्रतिवर्ष
202668369187586	रू.12,23,014/– प्रतिवर्ष

उपरोक्त 3 बोलीदाताओं में से ई–नीलामी मास्कड् आई0डी0स0 202668369187787 द्वारा उच्चतम बोली रु0 12,25,014/– प्रति वर्ष दिया गया है, पर विचार व स्वीकृत करना।

ई–नीलामी आई0डी0स0 202668369187787 की पहचान नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात जारी की जाएगी।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये।

<u>संकल्प संख्या 15</u>

विचार किया गया एवं ई–नीलामी आई0डी0स0 202668369187787 द्वारा दिया गया उच्चतम बोली रु0 12,25,014/– प्रति वर्ष कब्जा देने की तिथि से 03 वर्ष हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

16. <u>बंगला नं0 51 की चहारदिवारी से सट कर सर्वे संख्या 88 (पार्ट) पर 249.75 वर्गमीटर भूमि वाहन पार्किंग कार्य हेतु ई–नीलामी।</u>

छावनी परिषद वाराणसी द्वारा मिंट रोड पर बंगला नं0 51 की चहारदिवारी से सट कर सर्वे संख्या 88 (पार्ट) पर 249.75 वर्गमीटर भूमि वाहनो की पार्किग हेतु आवंटन, छावनी अधिनियम 2006 की धारा 267 के तहत 03 वर्ष के लिए ई–नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

आमंत्रित की गई ई–नीलामी का विवरण निम्नवत है –

समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशन की तिथि	हिन्दुस्तान एवं आज दिनांक 03.02.2026
ई–नीलामी की तिथि	25.02.2026
ई–नीलामी में भाग लेने वालो की संख्या	3
ऑक्सन आई0डी0 संख्या	2026_MoD_4639

निम्नलिखित फर्म/व्यक्तियों के प्रपत्र पूर्ण होने के कारण ई–नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी–

क0स0	**नीलामी में भाग लेने वाले फर्म/व्यक्यिों के नाम**
1	श्री आत्मानन्द सिंह, 53, पटेल नगर, कैन्टोन्मेंट, नदेसर, वाराणसी।
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार, भारथीपुर, जौनपुर।
3	श्री शैलेन्द्र कुमार पांडेय, न्यू डिफेंस कालोनी, सरैया, फुलवरिया, वाराणसी।

बोलीकर्ता का मास्क आई डी	**बोली की राशि**
202668369187914	रू.7,73,288/– प्रतिवर्ष
202668369187992	रू.7,72,288/– प्रतिवर्ष

उपरोक्त 3 बोलीदाताओं में से ई–नीलामी मास्कड् आई0डी0स0 202668369187914 द्वारा उच्चतम बोली रु0 7,73,288/– प्रति वर्ष दिया गया है, पर विचार व स्वीकृत करना।

ई–नीलामी आई0डी0स0 202668369187914 की पहचान नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात जारी की जाएगी।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर रखे गये।

<u>संकल्प संख्या 16</u>

विचार किया गया एवं ई–नीलामी आई0डी0स0 202668369187914 द्वारा दिया गया उच्चतम बोली रु0 7,73,288/– प्रति वर्ष कब्जा देने की तिथि से 03 वर्ष हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

17. डॉ आस्था सिंह, एम0ओ0 को एम0डी0 (मेडिसिन) पाठ्यक्रम एवं अध्ययन हेतु अवकाश देने के संबध में

डॉ आस्था सिंह, एम0ओ0, छावनी परिषद चिकित्सालय वाराणसी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2026 द्वारा एम0डी0 (मेडिसिन) पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं अध्ययन हेतु अवकाश स्वीकृति किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

डॉ आस्था सिंह, की नियुक्ति दिनांक 17.04.2023 को छावनी परिषद चिकित्सालय में एम0ओ0 पद पर हुई थी।

डॉ आस्था सिंह, एम0ओ0 के आवेदन पर विचार व स्वीकृत करना।

सम्बन्धित प्रपत्र पटल पर प्रस्तुत है ।

संकल्प संख्या 17

विस्तृत चर्चा की गई एवं पारित किया गया कि डा0 आस्था सिंह को 03 वर्ष असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) बिना वेतन दिया जाए। इस अवधि के दौरान छावनी परिषद अस्पताल में संविदा के अधार पर जनरल फिजिशियन/डाक्टर को रू.80,000/–प्रतिमाह मानदेय पर रखा जाए। मुख्य अधिशासी अधिकारी को नियुक्ति हेतु अधिकृत किया जाता है।

18. आर0एस0 इण्टरप्राइजेज की निविदा के संबंध में।

श्री संदीप कुमार झा, लेखाकार, छावनी परिषद, वाराणसी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा कार्यालय को अवगत कराया है कि श्री प्रवीन कुमार झा प्रोपाराइटर आर0एस0 इण्टरप्राइजेज, इमलियाघाट, वाराणसी को अगस्त 2026 में दो निविदा प्राप्त हुआ है जो रिश्ते में मेरे भाई है जिनके बिल का भुगतान लेखाकार द्वारा किया जायेगा जिससे मेरे उपर कभी भी मिथ्या आरोप लग सकता है कि मेरे द्वारा आर0एस0 इण्टरप्राइजेज का समर्थन कर रहे है। इसलिए आर0एस0 इण्टरप्राइजेज का निविदा निरस्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।

अतएव इनके आवेदन पत्र पर विचार करना एवं निर्णय लेना।

सम्बन्धित प्रपत्र बोर्ड पटल पर प्रस्तुत है।

संकल्प संख्या 18

विस्तृत चर्चा के उपरान्त बोर्ड ने निम्नालिखित निर्णय लिए –

1. वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तथा अनुबंध की अवधि 31 मार्च को समाप्त होने के दृष्टिगत, अल्प समय उपलब्ध होने के कारण वर्ष 2025–26 हेतु पुनः निविदा व्यवहारिक नहीं होगा। अतः अनुबंध को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि आर.एस. इंटरप्राइजेज से संबंधित सभी फाइलें एवं बिल निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय अधीक्षक द्वारा निपटाए जाएंगे।

19. Regarding Working Permission for erection of towers and laying of 220 KV transmission line and underground cable at Varanasi Cantonment.

A. Indenting Agency i.e. U.P. Power Transmission Corporation Ltd. (UPPTCL) has requested for construction of a 220 KV transmission tower and laying of underground power cable through defence land for supply to the 220 KV Sub-Station at Chowkaghat, Varanasi on the NoC portal of Ministry of Defence.
B. The Engineering Section has submitted a report regarding the proposal of U.P. Power Transmission Corporation Ltd. (UPPTCL) in this regard.
C. A joint inspection was conducted on 09.10.2025 in the presence of representatives of DEO Prayagraj, UPPTCL, Station Headquarters (LMA), Cantonment Board, and the Executing Agency M/s Jewar Transmission Ltd. During the inspection, the land required for erection of towers, overhead transmission corridor, and laying of underground cable was measured and recorded.
D. As per the Joint Inspection Report dated 09.10.2025, the details of Class 'C' Defence Land involved for laying of underground 220 KV transmission line are as under:
E. Details of defence land proposed for laying of underground power cable:

Sr. No.	Sy. No.	Land class	Length (in mtrs)	Width (in mtrs)	Proposed area (in sqmtrs)	Utilities	Remarks
1	8	Class-C	277.20	2	554.40	Underground Street light cable	Chowka Stone pavement.
2	13		256.81	2	513.62	Underground Street light cable, underground PNG Line, Water supply line, underground power cable & sewage line.	Bituminous surface & earth surface.
3	36		667.26	2	1334.52		
4	150		65.34	2	130.68		
5	169		1,247.4	2	2494.80		
Total					**5028.02 Sqm.**		

F. DEO Prayagraj has already forwarded a report as per the joint inspection to Director General Defence Estates for further processing and issuance of working permission.

G. Further the Indenting Agency vide letter dated 24.02.2026 have intimated the following

a. Actual trench width for cable laying shall be restricted to approximately 1.0 metre, with 0.5 metre on either side kept as protective margin. The cable shall be laid at adequate depth below road level with protective cable tiles horizontally and vertically, strictly in accordance with Ministry of Power safety guidelines. They have further intimated that the there will be no restriction on use of surrounding defence land any other purpose.

b. The road surface shall be restored to its original condition after completion of work and that there shall be no restriction on traffic movement or use of surrounding defence land.

c. They have also intimated that the safety and security of civilians has already been considered as per standard norms of Ministry of Power.

H. As per MoD policy 02.07.2025, in such cases of RoW, the mode of transfer of defence land shall be license basis for 10 years which may be renewed 10 years at a time at the option of

IA, till the time IA requires the land for the said purpose. License fee will be Re. 1 for 10 years. The compensation calculation shall be determined as per the Ministry of Power Policy dated 14.06.2024 as amended from time to time.

I. Further as per the policy of Ministry of Power dated 14.06.2024, the compensation for Right of Way corridor shall be 30% of the land value which shall be paid by the IA. The land value in the instant case as calculated by DEO Prayagraj is Rs. 28,02,19,997.50 for 5028.02 acres of Class C land involved in the instant proposal. Hence the compensation amount for Class C land shall be Rs 8,40,65,999.26.

J. It is observed from the 14.06.2024 policy that the intention behind giving compensation is to *address the potential diminution in land value* due to presence of underground cables and the fact that Cantonment Board will *not be able to plan any other utilities* in the Right of Way of 2 metres.

K. Therefore, it is recommended that projects of the Varanasi Cantonment Board for upgradation of school and hospital be carried out in lieu of the compensation amount. These projects will benefit residents of Varanasi Cantonment and citizens of Varanasi at large.

L. It is noteworthy to mention that Varanasi Cantonment Board is a grant -in – aid Cantonment Board and is heavily dependent on grants and service charges. The compensation amount will help augment the resources of Cantonment Board and it will help build essential infrastructure for schools and hospitals in Varanasi Cantonment.

M. A Rough Indication of Cost for 4 Infrastructure projects for schools and hospitals is placed on the table.

a. Upgradation of School.
b. Addition of Classrooms for School.
c. Upgradation of Hospitals.
d. Multi Activity Centre for school and Citizens.

The matter along with relevant files and letters are put up before the Board for approval and for forwarding the matter to the Defence Estates Officer, Prayagraj Circle, for onward submission to the Competent Authority for necessary approval.

Put up for Board's approval please.

<u>Resolution No. 19</u>

Board considered and deliberated the matter in detail. Board also took note of the letter from IA dated 24.02.2026 wherein IA has communicated that

a. Actual trench width for cable laying shall be restricted to approximately 1.0 metre, with 0.5 metre on either side kept as protective margin. The cable shall be laid at adequate depth below road level with protective cable tiles horizontally and vertically, strictly in accordance with Ministry of Power safety guidelines. They have further intimated that the there will be no restriction on use of surrounding defence land any other purpose.

b. The road surface shall be restored to its original condition after completion of work and that there shall be no restriction on traffic movement or use of surrounding defence land.

c. Safety and security of civilians have already been considered as per standard norms of Ministry of Power.

Board resolved that the Class C land mentioned in the agenda which is involved in this project may be given on license basis as per the policy of the Ministry of Defence. Board further resolved that the land be restored to its original condition including sufficient compaction, blacktopping of road, paver blocks, restoring any other utilities impacted by the laying of underground cables, as the case may be within a week's time by IA. IA shall also be liable to restore the land in future in case of any subsidence on or adjacent to Right of Way.

In view of the fact that Varanasi Cantonment Board is grant in aid Board and heavily dependent on grants, Board also resolved that the compensation amount as per Ministry of Power policy dated 14.06.2024 be utilised for infrastructure projects in Schools and Hospitals as mentioned in the agenda. amounting to Rs.8.5 Crores (approx.). PE/RIC for the infra projects as mentioned in agenda is approved herewith.

Board resolved that the matter be forwarded to Defence Estates Officer, Prayagraj Circle for onwards submission of proposal to the Competent Authority.

हस्ताक्षर／सही
सदस्य सचिव
छावनी परिषद, वाराणसी
दिनांक 28.02.2026

हस्ताक्षर／सही
अध्यक्ष, छावनी परिषद, वाराणसी
दिनांक 28.02.2026